

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व वाद 33/2015
श्रीमति श्रवणी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य
अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामिल में

पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अभिभाषक उपस्थित। जी०ए० उपस्थित।
वादीगण/अभिभाषक को दिनांक 08.11.2016 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की
तलबी हेतु सही पते के नोटिस तलवाना प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये थे।
दिनांक 10.08.2020 को पुनः उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये जाने के
उपरान्त भी वादीगण व उनके अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक प्रतिवादीगण की
तलबी हेतु नोटिस तलवाना प्रस्तुत नहीं किये गये है जबकि प्रकरण वर्ष 2015 से
न्यायालय में लम्बित है। 6 वर्ष का समय तलबी हेतु दिये जाने के उपरान्त भी तलबी
वादीगण के अभिभाषक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है इससे स्पष्ट है कि
वादीगण व उनके अभिभाषक अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। अतः
वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 9 नियम 5 जा०दी० के तहत अदम पालना में
खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामति वैष्णव)

सहायक कलेक्टर (म०)
अजमेर

